God helps those who help His cause

Zakat Foundation of India

CISRS House, 14 Jangpura B, Mathura Road, New Delhi 110014
www.zakatindia.org. info@zakatindia.org
+91-11-24375196

जूलाई 27, 2014

आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी,

सादर प्रणाम व ईद मुबारक !

आप कृपया याद करें गे कि 29 जून 2013 को अहमदाबाद के कांक्लेव में जिस का शीर्षक था How government and business can change to provide Indian youth with the opportunities they deserve जिस की व्यवस्था Citizens for Accountable Governance ने की थी तथा जिस का उद्घाटन डा॰ एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, मैं ने आप की प्रतिभावान उपस्थिति में 30 मिनट का 'एक भारत' नाम का पावरप्वाएंट प्रेजेंटेशन किया था। आप उदार भाव से पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान बैठे रहे, मेरे शब्दों को आप ने सुना, 65 स्लाड्स में से हर एक को देखा तथा उसके बाद मंच से आपने कहा कि "डा॰ जफर महमूद ने कुछ बातें बताई हैं, यह भी एक दृष्टिकोण है जो विचारणीय (thought provoking) है, दूसरों को समझने की कोशिश की जानी चाहिए"। पुनरावृत्ति के लिए मेरा प्रेजेंटेशन तथा उस पर आपका सौहाद्रपूर्ण तबसेरा समाचार चैनेल साइटों पर उपलब्ध है।

संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए आपने मुसलमानों के राष्ट्रव्यापी पिछडेपन को संसद में सवीकार किया। आपने कहा कि आप ऐसे मुस्लिम परिवारों को जानते हैं जो तीन पीढियों से साइकिल का पंकचर बनाते आरहे हैं। आपने कहा, "ऐसी दुर्दशा क्यों हुई ? उनके जीवन में बदलाव कैसे आएगा ? और इस बदलाव के लिए हमें फोकस्ड ऐक्टिविटी करनी पडेगी, उस प्रकार की योजनाओं को हमें ले कर आना पडेगा। और मैं इन योजनाओं को तुष्टीकरण के रूप में नहीं देखता हूं बल्कि मैं उनको उनके जीवन में बदलावके रूप में देखता हूं। कोई भी शरीर अगर उसका एक भी अंग विकलांग हो तो उस शरीर को कोई भी स्वस्थ नहीं मान सकता, शरीर के सभी अंग अगर सशक्त हों तभी तो शरीर सशक्त हो सकता है। और इसलिए समाज का कोई एक अंग अगर दुर्बल रहा तो समाज कभी सशक्त नहीं हो सकता है, समाज के सभी अंग सशक्त होने चाहिएं। उस मूलभूत भावना से प्रेरित होकर हमें काम करने की आवश्यकता है और हम उस से प्रतिबद्ध है, हम उसे करना चाहते हैं।"

आपके इस भाषण के बाद मैं ने मुस्लिम समुदाय के नाम अपने श्रंखलागत प्रचलित लेखों में परामर्श दिया कि हमें प्रधान मंत्री की जैतूनी डाली का स्वागत करना चाहिए और उन्हें अवसर देना चाहिए कि वह अपने प्रारंभिक वाएदे

को ठोस कार्यान्वयन में रूपांतरित करें। हमें समाज के प्रति धार्मिक निष्ठा के संबंधों में सामंजस्य पैदा करने एवं एकता व विविधता के बीच पारस्परिक रचनात्मक क्रिया के सामर्थ्य का व्यावहारिक प्रदर्शन करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि किस प्रकार वर्तमान क्षण हमें - सहयोग, संवाद व अनुबंधन के नए स्तरों पर - विभिन्न संस्कृतियों के बीच पारस्परिक ग्रहणशक्ति व सामाजिक संबद्धता के प्रोत्साहन के अवसर प्रदान कर रहा है। परिवर्तन व बदलाव की वर्तमान स्थिति हम से चाहती है कि हम आदान प्रदान व सहभाग की पारस्परिक प्रतिज्ञा के साथ रहें खासकर जबकि हम अपनी धर्मग्रंथी आज्ञा से जागरूक हैं कि: परमात्मा ने पृथ्वी को सारी मानवता के लिए पैदा किया है (पवित्र कुरान 55.10)।

अहमदाबाद में अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं ने आपका ध्यान आकर्शित किया था कि भाजपा की वेबसाइट पर तीन लेख माना जाता है कि पार्टी के सिद्धांतों को दर्शाते हैं जबकि वास्तविक रूप में वह मुसलमानों के प्रति बुनयादी प्रतिकूलता प्रतिबिंबित करते हैं - यह स्थिति राष्ट्रीय स्तर की राजनैतिक पार्टी की साख में नही समाती है। उस के कुछ ही महीने बाद वह तीनों लेख भाजपा की वेबसाइट पर से हटा लिए गए और उनकी जगह केवल एक मृदुल लेख ने ले ली। पार्टी के घोषणापत्र 2014 में वादा किया गया कि अल्पसंख्यक पारंपरिक कारीगरी और कारोबारी हुनरमन्दी, जो भारतीय कुटीर व लघु उधोग के रीढ की हड्डी हैं, उन्हें - बेहतर बाजारी संयोजन, ब्रैंडिंग और उधार की आसानी दे कर - बढावा दिया जाए गा। बजेट 2014 में इस को शामिल कर लिया गया। इन उदारतापूर्ण कार्यों के लिए हम आपके आभारी हैं।

<u>मुसलमानों के लिए 18 बुनियादी दीर्घावधि कार्यवाहियां</u>

श्रीमान, अब जबकि देश की कमान आप के प्रबुद्ध हाथों में है और उसके साथ आप की उस वचन बद्धता का समावेश किया जाए जो आपने संसद के पटल पर उदारतापूर्वक की है तो आपकी सरकार सुमंत्रित हो गी कि वह मुसलमानों को उठा कर देश के समान स्तर पर लाने के लिए 18 आवश्यक बुनियादी दीर्घावधि कार्यवाहियां करे जिनकी सूचि इस पत्र के साथ संलग्न है।

महोदय, बेहतर हो गा कि इन कार्वाहियों के सुव्यवस्थिक अनुबंधन, अनुकरण व मानिटरिंग के लिए आपकी सरकार एक संस्थागत परामर्षक समिति का गठन कर ले। ऐसा करना भाजपा के घोषणापत्र के उस चुनावी वचन के अनुकूल हो गा जिसमें कहा गया है कि पार्टी एक स्थाई इंटरफेथ सलाहकार मेकानिज्म के गठन में सकारात्मक भूमिका निभाए गी।

सादर

(डा॰ सय्यद जफर महमूद)
अध्यक्ष, जकात फाउण्डेशन आफ इण्डिया

सेवा में श्री नरेंद्र मोदी जी
प्रधान मंत्री

मुसलमानों के लिए बुनियादी दीर्घावधि 18 कार्यवाहियां

प्रस्तुतकर्ता: डा॰ सय्यद जफर महमूद, अध्यक्ष, जकात फाउण्डेशन आफ इण्डिया 27.07.2014 info@zakatindia.org

1. मुसलमानों की अधिसंख्या वाले उन चुनाव क्षेत्रों को जिन्हें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है, आरक्षण से मुक्त किया जाए। इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए तुरन्त नया परिसीमनआयोग (Delimitation Commission) गठित किया जाए जिसे स्पष्ट निर्देशों के साथ तय समय सीमा में काम पूरा करने का दायित्व सोंपा जाए।
(सच्चर समिति का सुझाव, क़ानून मंत्रालय की ज़िम्मेदारी)

2. अनुसूचित जाति की परिभाषा को धर्ममुक्त करने केलिए उच्चतम न्यायालय में मुसलमानों और ईसाइयों की याचिकाएं 4-5 वर्ष से इसलिए लंबित हैं कि भारत सरकार ने अपना काउंटर एफिडेविट दायर नहीं किया है, यह कृपया अब दायर कर दिया जाए । (सच्चर समिति व मिश्रा कमीशन का सुझाव, गृह मंत्राल की ज़िम्मेदारी)

3. इण्डियन वक़्फ़ सर्विस गठित की जाए, ठीक उसी तरह जिस तरह कई राज्यों में हिन्दू मन्दिरों तथा न्यासों के प्रबंधन के लिए, राज्यों के क़ानून के अन्तर्गत, सरकार वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती करती है।
(सच्चर समिति का सुझाव, मिनिस्ट्री ऑफ़ पर्सोनेल व अल्पसंख्यक मंत्रालय की ज़िम्मेदारी)

4. सच्चर कमिटी ने युनिवर्सिटियों व कालेजों में प्रवेष के लिए वैकल्पिक मानदण्ड की सिफारश की है जिसमें उम्मीदवार की शैक्षिक क्षमता का आंकलन तथा उसके पिछडेपन का भी आंकलन हो। इसका कार्यान्वियन किया जाए ।
(सच्चर समिति का सुझाव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ज़िम्मेदारी)

5. आतंकवाद के आरोप में पकडे गए व्यक्तियों के मुक़दमों की सुनवाई के लिए निश्चित समय सीमा के साथ फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की जाए। आतंकवाद के आरोप से अदालतों द्वारा बरी किए जाने वाले हर व्यक्ति को 50 लाख रुपेय का मुआवज़ा भरपाई के लिए दिया जाए। (गृह मंत्रालय की ज़िम्मेदारी)

6. योजनाबद्ध साम्प्रदायिक हिंसा को न होने देने के लिए कार्यवाही बिल को तुरन्त संसद में पास करवाया जाए ।
(गृह मंत्रालय की ज़िम्मेदारी)

7. प्रतिभाओं के विकास के कार्यक्रम (skill development programmes) तथा अन्य आर्थिक अवसरों में बजट में मुसलमानों के लिए विशेष कामपोनेन्ट निर्धारित किया जाए। (योजना आयोग व वित्त मंत्रालय की ज़िम्मेदारी)

8. मुसलमानों के विकास के लिए बनाई जाने वाली ढांचागत योजनाओं तथा उनके क्रियान्वन के लिए ज़िला अथवा ब्लाक के बजाए नगरों में वार्ड को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गांव को इकाई बनाया जाए। (योजना आयोग की ज़िम्मेदारी)

9. 1400 अतिरिक्त आई.पी.एस अधिकारियों की विशेष भर्ती के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (एल.सी.ई) की नीति को समाप्त किया जाए, क्योंकि इस विधि से मुसलमानों के लिए अवसर बन्द हो जाते हैं।
(मिनिस्ट्री ऑफ़ पर्सोनेल व गृह मंत्रालय की ज़िम्मेदारी)

10. वक्फ नियमावली में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंः
(i) सेंट्रल वक्फ काउंसिल का सेक्रेट्री भारत सरकार के ज्वाएंट सेक्रेट्री से कम श्रेणी का नहीं हो सकता है ।
(ii) कोई भी वक्फ जाएदाद चालू बाजारी रेट से कम दर पर लीज पर नहीं दी जाएगी ।
(iii) कोई भी वक्फ जाएदाद लीज पर देने के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं होगी ।
(सच्चर समिति व जेपीसी का सुझाव, अल्पसंख्यक मंत्रालय की ज़िम्मेदारी)

11. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही वक़्फ़ सम्पत्तियों को मुक्त किया जाए तथा उन्हें राज्य वक़्फ़ बोर्डों के नियंत्रण में दिया जाए।
(सच्चर समिति व जेपीसी का सुझाव, प्रधानमंत्री कार्यालय व अल्पसंख्यक मंत्रालय की ज़िम्मेदारी)

12. मदरसों के लिए बनाई गयी योजना (एस.पी.क्यू.ई.एम) का प्रचार उर्दू तथा अन्य भाषाओं में किया जाए। इस काम के लिए हर साल जारी की जाने वाली 50 लाख रुपेय की ग्राण्ट उपयोग में नहीं लाई जाती है।
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ज़िम्मेदारी)

13. मदरसों की डिग्रियों को स्कूल व कालेजों की डिग्रियों के समकक्ष बनाने के लिए तन्त्र विक्सित किया जाए - यू.जी.सी तथा एन.आई.ओ.एस की ज़िम्मेदारी ।
(सच्चर समिति का सुझाव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ज़िम्मेदारी)

14. सर सय्यद अहमद खॉ के द्वारा संस्थापित अलीगढ मुस्लिम विश्वविधालय को अल्पसंख्यक रुत्बा प्रदान किया जाए । मुसलमानों व अन्य अल्पसंख्यकों के द्वारा संस्थापित अन्य संस्थाओं के लिए भी ऐसी ही कार्यवाही की जाए ।
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ज़िम्मेदारी)

15. बैंकिंग क्षेत्र में ब्याज मुक्त बैंकिंग का विकल्प शुरू किया जाए। इस संबंध में योजना आयोग की कार्य विधि में सुधार के सुझाव देने के लिए गठित रघुराम राजन समिति के महत्वपूर्ण सुझावों को लागू किया जाए।
(योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय की ज़िम्मेदारी))

16. राज्यों में सेण्ट्रल उर्दू टीचर्स स्कीम के क्रियान्वन की निगरानी की जाए और जहां यह योजना क्रियान्वित नहीं हो रही है वहां उसे क्रियान्वित कराया जाए। (सच्चर समिति का सुझाव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ज़िम्मेदारी)

17. समान अवसर आयोग (Equal Opportunity Commission) का गठन किया जाए। इसकी रूप रेखा विशेषज्ञों की एक समिति चार साल पहले ही तैयार कर चुकी है।
(सच्चर समिति का सुझाव, अल्पसंख्यक मंत्रालय की ज़िम्मेदारी)

18. विविधता सूची पर आधारित छूट योजनाएं (Schemes for Incentives based on Diversity Index) लागू की जाएं। इसकी रूप रेखा भी विशेषज्ञों की एक समिति चार साल पहले तैयार कर चुकी है।
(सच्चर समिति का सुझाव, अल्पसंख्यक मंत्रालय की ज़िम्मेदारी)